

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक— 138/ /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, सितम्बर, 20, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट पारिषण लाईन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हैं एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या—FP/UP/TRANS/32650/2018)

संदर्भ:— आपका पत्रांक—1698/11-सी - FP/UP/TRANS/32650/2018, दिनांक 14.01.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। विषयक समेकित प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त उल्लिखित कमियाँ/अभिलेखों के निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या—690/ओबरा/33 दिनांक 10.09.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, सोनभद्र वन प्रभाग, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर एवं मीरजापुर वन प्रभाग के उल्लिखित कमियाँ/अभिलेखों के निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है :-

रेनुकूट वन प्रभाग की उल्लिखित कमियाँ	निराकरण
4 प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारिषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2 प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक— 343/11सी दिनांक—14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी /प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3 परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन	त्रुटि रहित लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149-151 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।

	लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है।	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 190 पर संलग्न है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 175 पर संलग्न है।
6	प्रस्ताव में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 गणना संलग्न है किन्तु ब्याज की गणना अद्यतन नहीं की गयी है तथा गणना भी त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 लिये जाने का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें तथा पूर्व की त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटि रहित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194ए पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
7	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अनुरोध किया गया था प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एफ पर संलग्न है।
ओबरा वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343 /11सी दिनांक-14.08.2020 के कम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी /प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण	त्रुटि रहित लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 152-154 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।

	लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	
4	प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 176 पर संलग्न है।
5	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु ओबरा वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन०पी०वी० की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194बी पर संलग्न है।
6	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन०पी०वी० न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एच पर संलग्न है।
सोनभद्र वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारिषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटि रहित लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 155-157 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 177 पर संलग्न है।
5	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु सोनभद्र वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194सी पर संलग्न है।
6	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण

R

	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एच पर संलग्न है।
मीरजापुर वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11सी दिनांक-14.08.2020 के कम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटि रहित लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 158-160 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
4	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 200ए पर संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 178 पर संलग्न है।
6	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु मीरजापुर वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194डी पर संलग्न है।
7	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194जी पर संलग्न है।
8	आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में रुपये 626000.00 प्रति हे0 की दर से एन0पी0वी0 की गणना अपलोड	आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में रुपये 626000.00 प्रति हे0 की दर से एन0पी0वी0 की गणना अपलोड

	की गयी है, जो कि गलत है। अतः इसे डिलिट करें।	की गयी है, जो कि प्रस्ताव विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लागत लाभ विश्लेषण में उल्लिखित हरियाली का घनत्व 0.30 के अनुसार है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 193 पर संलग्न है।
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक— 343/11सी दिनांक—14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटि रहित लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 161-163 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में हरियाली घनत्व गलत अंकित किया गया है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर आन लाईन अपलोड करें।	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 179 पर संलग्न है।
6	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 45 पर संलग्न कर दिया गया है।
7	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर के द्वारा भाग-3 में संस्तुति नहीं की गयी है तथा आन लाईन भाग-2 में अपलोड भी नहीं है। अतः मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की संस्तुति सहित भाग-3 प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की संस्तुति सहित भाग-3 प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 45 संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
8	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194इ पर संलग्न है।

	गणना संलग्न है, किन्तु कैमूर वन्य जीव प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	
9	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एच पर संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एद्दसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा) 28/09/21
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 138/ /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को उनके कार्यालय पत्रांक-690/ओबरा/33 दिनांक 10.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव प्रभाग तथा मीरजापुर वन प्रभाग को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय पत्रांक-690/ओबरा/33 दिनांक 10.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 28/09/21
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

15/10/21

15/10/21